



दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
19 ¹² / ₂₀₂₀	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक दीपक कुमार तामसोय, पिता- स्व० रामदेव तामसोय, ग्राम- मतकमहातु, गितिलपी थाना- मुफसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- गितिलपी थाना नं०- 580, खाता न०- 223, प्लॉट न०- 2036, रकवा- 0.07$\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि क्रेता जयमति पिंगुवा, पिता- विजय पिंगुवा, ग्राम- सिंहपोखरिया, थाना- मुफसिल, चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम से नामान्तरण सं०407(B)/2006-2007 द्वारा नामान्तरण स्वीकृत है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 1260, दिनांक 14.12.2020 के द्वारा प्राप्त है। मकान निर्माण हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता जयमति पिंगुवा, पति- विजय पिंगुवा, ग्राम- सिंहपोखरिया, थाना- मुफसिल, चाईबासा के पास 3,70,000.00/- (तीन लाख सत्तर हजार) रुपये मात्र में बिक्री करना चाहते हैं। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का कोई आपति प्राप्त नहीं हुआ है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् भी 3.00 एकड़ भूमि बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुन्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता दीपक कुमार तामसोय, पिता- स्व० रामदेव तामसोय, ग्राम- मतकमहातु, थाना- मुफसिल जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- गितिलपी, थाना नं०- 580 खाता न०- 223, प्लॉट न०- 2036, रकवा- 0.07$\frac{1}{2}$ एकड़, भूमि को क्रेता जयमति पिंगुवा, पिता- विजय पिंगुवा, ग्राम- सिंहपोखरिया, थाना- मुफसिल, चाईबासा जिला- पश्चिमी सिंहभूम के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की<u>अनुमति</u>..... दी जाती है।</p> <p>लेखापित</p> <p> 19/12/2020</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p> <p> 19/12/2020</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p>	